न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—159 / 2023

प्रार्थीः—

चन्दुलाल उर्फ चन्दा पुत्र अमरीगजी जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. कल्याणसिंह पुत्र पुखराज जाति पुरोहित
2. भंवरलाल पुत्र गुणेशा जाति पुरोहित
3. भवानीसिंह पुत्र पुखराज जाति पुरोहित
4. मांगीया पुत्र गुणेशा जाति पुरोहित
5. राणसिंह पुत्र पुखराज जाति पुरोहित
6. वालीया पुत्र गुणेशा जाति पुरोहित
7. सुन्दरदेवी पत्नी पुखराज जाति पुरोहित
8. अन्तर पुत्री मूला जाति पुरोहित
9. आसूलाल पुत्र कपूरजी जाति पुरोहित
10. उदा पुत्र भूरा जाति पुरोहित
11. कैलाश पुत्र मूला जाति पुरोहित
12. गंगा पुत्र कपूरजी जाति पुरोहित
13. गुमाना पुत्र मूला जाति पुरोहित
14. गवरी पत्नी भूरा जाति पुरोहित
15. चम्पालाल पुत्र सवाजी जाति पुरोहित
16. जबरसिंह पुत्र लूंबसिंह जाति पुरोहित
17. जालमसिंह पुत्र मदनसिंह जाति पुरोहित
18. झमकू पुत्री भूरा जाति पुरोहित
19. डायालाल पुत्र रावता जाति पुरोहित
20. तगा पुत्र भूरा जाति पुरोहित
21. तेजा पुत्र बगता जाति पुरोहित
22. दुर्गसिंह पुत्र रावता जाति पुरोहित
23. दरियाकंवर पत्नी गोपाल जाति पुरोहित
24. धर्मेन्द्र पुत्र मूला जाति पुरोहित
25. नेनसिंह पुत्र गोपाल जाति पुरोहित
26. पुखराज पुत्र अमरींगजी जाति पुरोहित
27. पाण्डेश्वरसिंह पुत्र गोपाल जाति पुरोहित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:09 IST
Reason: SelfAttested

28. पानी पुत्री मूला जाति पुरोहित
29. बालाराम पुत्र गुणेशाराम जाति पुरोहित
30. भाणा पुत्र भूरा जाति पुरोहित
31. मंजू पुत्री कपूरजी जाति पुरोहित
32. मांगीलाल पुत्र गुणेशाराम जाति पुरोहित
33. मीठालाल पुत्र कपुरजी जाति पुरोहित
34. मोहन पुत्र दोलाजी जाति पुरोहित
35. रूपा पुत्र भूरा जाति पुरोहित
36. रमेश पुत्र कपुरजी जाति पुरोहित
37. रसाल पुत्री कपुरजी जाति पुरोहित
38. लालसिंह पुत्र कपुरजी जाति पुरोहित
39. शंकरसिंह पुत्र सवाजी जाति पुरोहित
40. सूकीदेवी पत्नी लूंबसिंह जाति पुरोहित
41. सुमटीदेवी पत्नी सवाजी जाति पुरोहित
42. सुलतानसिंह पुत्र रावताजी जाति पुरोहित
43. हवा पत्नी मूलाजी जाति पुरोहित
44. हवादेवी पत्नी मदनसिंह जाति पुरोहित

निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

45. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री जयप्रकाश रामदेव अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19.12.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रमणिया तहसील सिवाना के खतौनी संख्या 255 के खसरा संख्या 1032, 1040, 1080, 1133, 170, 616, 650, 74 व 972 कुल रकबा 11.9462 व खतौनी संख्या 426 के खसरा संख्या 294, 295, 296, 653, 656, 694, 713 व 716 कुल रकबा 10.8860 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड में [illegible] वास्तविक नाम "चन्दुलाल पुत्र अमरींग" दर्ज है किन्तु विवादित [illegible] प्रार्थी का नाम "चन्दा पुत्र अमरींग" लिख दिया। [illegible] नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का ल[illegible] नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

गो गई। तहसीलदार सिवाना ने पत्रांक भू.अ./2024/3144 दिनांक 27.11.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जनआधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड व बैंक पास बुक की डायरी आदि पेश किया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''चन्दुलाल पुत्र अमरींग'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम रमणिया तहसील सिवाना के खतौनी संख्या 255 के खसरा संख्या 1032, 1040, 1080, 1133, 170, 616, 650, 74 व 972 कुल रकबा 11.9462 व खतौनी संख्या 426 के खसरा संख्या 294, 295, 296, 653, 656, 694, 713 व 716 कुल रकबा 10.8860 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''चन्दा पुत्र अमरींग'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी, आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''चन्दुलाल पुत्र अमरीग'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''चन्दा पुत्र अमरींग'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रमणिया तहसील सिवाना के के खतौनी संख्या 255 के खसरा संख्या 1032, 1040, 1080, 1133, 170, 616, 650, 74 व 972 कुल रकबा 11.9462 व खतौनी संख्या 426 के खसरा संख्या 294, 295, 296, 653, 656, 694, 713 व 716 कुल रकबा 10.8860 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''चन्दा पुत्र अमरीग'' के स्थान पर ''चन्दुलाल पुत्र अमरींग'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)